

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक: एफ 3-41/2017/26-2

भोपाल दिनांक 24/01/2018

प्रति,

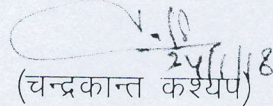
1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद मध्यप्रदेश

विषय:- सामाजिक सुरक्षा पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने संबंधी अधिकारों को प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में।

—0—

इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 19/12/2017 द्वारा जारी निर्देशों में निम्न अंश भी सम्मिलित किया जाता है:-

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को आर्थिक सहायता रुपये 500/- (पांच सौ) स्वीकृत के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिव को भी प्रत्यायोजित किये जाते हैं।


(चन्द्रकान्त कश्यप)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

सि. (ए. 2)

पुंनक्रमांक: एफ 3-41/2017/26-2

भोपाल दिनांक 24 02 2018

प्रतिलिपि:

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, भोपाल।
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 भोपाल।
7. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल।

सा. 24/2/18

1 FEB 2018

169

1/2/18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग